राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 881वी बैठक दिनांक 26.03.2025 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 881वी बैठक दिनांक 26.03.2025 को श्री शिव नारायण सिंह चौहान, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एप्को, पर्यावरण परिसर, भोपाल में निम्नानुसार सदस्यों की उपस्थिति में सम्पन्न हुई :–

1. डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्रीमती आर. उमामाहेश्वरी, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

बैठक के प्रारंभ में अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

क्र	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	जिला	परियोजना	SEAC द्वारा अनुशंसित/ परिवेश पोर्टल पर आवेदित	प्राधिकरण का निर्णय
1.	P-2/931/24	1(a)	उज्जैन	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति (DEIAA-EC)	जारी की जाये
2.	P-2/952/24	1(a)	निवाड़ी	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति (DEIAA-EC)	जारी की जाये
3.	9939/2023	1(a)	अलीराजपुर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति (DEIAA-EC)	जारी की जाये
4.	9938/2023	1(a)	अलीराजपुर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति (DEIAA-EC)	जारी की जाये
5.	10425/2024	1(a)	सिवनी	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति (DEIAA-EC)	ADS जारी किया जाये
6.	11148/2024	1(a)	अशोकनगर	पत्थर एवं एम. सेण्ड खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति (DEIAA-EC)	Defer
7.	11125/2024	1(a)	उज्जैन	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति (DEIAA-EC)	Defer
8.	11172/2024	1(a)	मंदसौर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति (DEIAA-EC)	Defer
9.	P-2/798/24	1(a)	छिन्दवाड़ा	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति (DEIAA-EC)	ADS जारी किया जाये
10.	P-2/806/24	1(a)	छिन्दवाड़ा	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति (DEIAA-EC)	ADS जारी किया जाये
11.	10737/2023	1(a)	बड़वानी	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति (DEIAA-EC)	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
12.	10738/2023	1(a)	देवास	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति (DEIAA-EC)	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
13.	10878/2023	1(a)	उज्जैन	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	Defer

(आर. उमामहेश्वरी)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

					(DEIAA-EC)	
14.	11005/2023	1(a)	छतरपुर	पत्थर खदान	ToR (DEIAA-EC)	जारी किया जाये
15.	11055/2023	1(a)	उज्जैन	पत्थर खदान	ToR (DEIAA-EC)	जारी किया जाये
16.	11052/2023	1(a)	रीवा	पत्थर खदान	ToR (DEIAA-EC)	जारी किया जाये
17.	11050/2023	1(a)	रतलाम	पत्थर खदान	ToR (DEIAA-EC)	जारी किया जाये
18.	11053/2023	1(a)	रतलाम	पत्थर खदान	ToR (DEIAA-EC)	जारी किया जाये

1. **Case No. P2/931/24 Prior Environment Clearance for Stone Mine (Opencast semi mechanized method) for production capacity of 2100 m3/Year, in an area of 1.00 ha. at Khasra No. 34/2 and 34/3 at Village – BedaVanya, Teshil – Khachord, Distt. Ujjain (M.P.) by Dashrath Bamboriya, R/o 64-Housing Board, Kachrod, Ujjain (M.P.) [MIN/468772/2024]**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 763वीं बैठक दिनांक 04.06.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 763वी बैठक दिनांक 04.06.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के पत्र कमांक 1441 दिनांक 13.08.2018 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 12.08.2028 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **पक्की सड़क से न्यूनतम 200 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iii) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ माँ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार सीईआर का विस्तृत प्लान 01 माह में प्राधिकरण के समक्ष एवं परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत किया जाये।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र के ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

2. Case No. P2/952/24 Prior Environment Clearance for Stone Mine (Opencast semi mechanized method) for production capacity of 20,001 cum per annum, in an area of 5.00 ha. at Khasra No. 216/2/1, 216/2/2 at Village – Jalandhar, Tehsil Prithvipur, District- Niwari (M.P.) by Shri ROHIT JAIN, R/o, 151, Main Road, Near SBI, Prithvipur, Tikamgarh, Madhya Pradesh. [MIN/471805/2024]

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 763वीं बैठक दिनांक 04.06.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 763वी बैठक दिनांक 04.06.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला टीकमगढ़ के पत्र कमांक 906 दिनांक 29.05.2018 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 28.05.2028 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **पक्की सड़क से न्यूनतम 200 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

(iv) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ मॉ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार सीईआर का विस्तृत प्लान 01 माह में प्राधिकरण के समक्ष एवं परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत किया जाये।

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र के ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

3. Case No. 9939/2023 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method) for productio capacity of 4850 cum per annum, in an area of 0.440 ha. at Khasra No. 909 at Village- Morasa, Tehsil- Jobat, District- Alirajpur (MP) by Ms. Hajri Ajnar, R/o Village- Morasa, Tehsil- Jobat, District-Alirajpur (MP)- 457990, [420303]

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 763वीं बैठक दिनांक 04.06.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 763वी बैठक दिनांक 04.06.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अलीराजपुर के पत्र कमांक 290 दिनांक 20.06.2020 के माध्यम से दिनांक 24.10.2017 से 10 वर्ष की नवकरण स्वीकृत जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 23.10.2027 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जावे।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **नदी के HFL से** दोनो ओर **न्यूनतम 100 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन संक्रियाऐं प्रारंभ करने के पूर्व खनन क्षेत्र में स्थित 16 वृक्षों में से काटे जाने वाले 07 वृक्ष के एवज में वन विभाग के सक्षम प्राधिकारी की अनुमति व परामर्श से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के तहत 100 पौधों का उपयुक्त प्रजाति एवं उपयुक्त स्थल पर रोपण अनिवार्यतः किया जाये एवं सुरक्षा हेतु ट्री–गार्ड लगाये जायेंगे। क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के फोटोग्राफ मय अक्षांश देशांश के SEIAA कार्यालय में प्रेषित किया जायें। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(v) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ माँ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार सीईआर का विस्तृत प्लान 01 माह में प्राधिकरण के समक्ष एवं परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत किया जाये।

(xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र के ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

4. **Case No. 9938/2023 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method) for production capacity of 2425 cum per annum, in an area of 0.600 ha. (Minable Area 0.35 ha.) at Khasra No. 244/1, 244/2, at Village- Pratapfaliya, Tehsil- Jobat, District- Alirajpur (MP) by Smt. Tara Ajnar, R/o VillagePratapfaliya, Tehsil- Jobat District-Alirajpur (MP)- 476337, [423624]**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 763वीं बैठक दिनांक 04.06.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 763वी बैठक दिनांक 04.06.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अलीराजपुर के पत्र कमांक 288 दिनांक 20.06.2018 के माध्यम से दिनांक 02.12.2017 से 10 वर्ष की नवकरण स्वीकृत जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 01.12.2027 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जावे।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **पक्की सड़क से न्यूनतम 100 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(iv) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ माँ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यो को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार सीईआर का विस्तृत प्लान 01 माह में प्राधिकरण के समक्ष एवं परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत किया जाये।

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र के ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

5. **Case No. 10425/2023 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method) for produciton capacity of 16693 cum per year, in an area of 2.00 ha. at Khasra No. 241, 242, 243, at Village-Gorakhpur, Tehsil-Seoni, District-Seoni (MP) by Shri Sudesh Jain, R/o Ward No. 4, Chhapara, Tehsil-Chhapara, District-Seoni (MP)-480661, [428078] [DEIAA]**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 763वीं बैठक दिनांक 04.06.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना की वैधता दिनांक 25.07.2023 को समाप्त हो गई है। अतः परियोजना प्रस्तावक संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से नवीन

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

खनन योजना अनुमोदित करवाकर ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये, इसके उपरांत प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

6. **Case No. 11148/2024 Prior Environment Clearance for Stone & M-Sand Quarry (Opencast semi mechanized method) in an area of 2.50 ha. for production capacity of 11761 cum per year at Khasra No. 669, at Village Badera, Tehsil-Chanderi, District-Ashoknagar (MP) by Shri Pratipal Pawar, Owner, R/o Ward No. 03, Futa Kuaa, Chanderi, District-Ashoknagar, (MP)-473446, [453060] [DEIAA]**

SEAC ने अपनी 763वी बैठक दिनांक 04.06.2024 में उल्लेख किया है कि *"यह प्रकरण डिया प्रकरण है जिसके सम्बन्ध पर परियोजना प्रस्तावक के अनुसार यह बताया गया कि उक्त प्रकरण फॉर्म 1 में नवीन प्रकरण की श्रेणी में आवेदित किया गया है जिसके अनुसार यह प्रकरण रि–अप्रैजल का प्रकरण नहीं है। उक्त प्रकरण की पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 13–09–2018 के बाद की स्वीकृति है एवं हाल ही में भारत सरकार वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 07–05–2024 में निर्देशित कार्यवाही के अनुसार ऐसे डिया प्रकरण जिनकी पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 13–09–2018 के बाद जारी की गयी है उन प्रकरणों के अन्तर्गत आ रही खदानों के कार्य को बंद करने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त इन प्रकरणों की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए किस प्रक्रिया के तहत कार्यवाही की जानी है यह भारत सरकार वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्देशत कार्यवाही में स्पष्ट नहीं किया गया है अतः ऐसे प्रकरण जिनकी पर्यावरणीय स्वीकृति डिया द्वारा दिनांक 13–09–2018 के बाद जारी की गयी है उनके एप्रैजल के लिए एक सैद्धांतिक निर्णय लिया जावे। अतः समिति द्वारा इन प्रकरणों के निराकरण के लिए प्रक्रिया एवं कार्यवाही हेतु सिया से मार्गदर्शन चाहा गया।"* बैठक में SEIAA सचिवालय द्वारा बताया गया है कि भारत सरकार के MoEF&CC के कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 26.11.2024 के अनुसार दिनांक 11.12.2018 तक के DEIAA द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति का पुनः परीक्षण किया जाना है। प्रश्नाधीन प्रकरण में DEIAA द्वारा EC दिनांक 26.09.2018 को जारी की गई है अतः यह प्रकरण कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 26.11.2024 के अनुसार पुनः परीक्षण की श्रेणी में आता है। अतः प्रश्नाधीन प्रकरण में SEIAA द्वारा SEAC की 743वी बैठक दिनांक 27.04.2024 की अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में पुनः परीक्षण किया जाना है। **अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि संबंधित द्वारा प्रकरण में SEAC द्वारा की गई अनुशंसाओं के आधार पर एवं भारत सरकार द्वारा DEIAA EC पुनः परीक्षण के संबंध में जारी ज्ञापनों के अनुसार परीक्षण कर एक सप्ताह के अंदर चेकलिस्ट समस्त दस्तावेज सहित प्रस्तुत की जाये।**

7. **Case No. 11125/2023 Prior Environment Clearance for Stone (Opencast semi mechanized method) in an area of 2.00 ha. for production capacity of 4750 cum per year at Khasra No. 141, at Village-Yashwantnagar, Tehsil-Tarana, District-Ujjain (MP) by Shri Radhe Prajapati, R/o Vijay Nagar, AB Road, Ward No. 26, Gun House ke Pass, District-Shajapur (MP)-465001, [450229] [DEIAA]**

SEAC ने अपनी 763वी बैठक दिनांक 04.06.2024 में उल्लेख किया है कि *"यह प्रकरण डिया प्रकरण है जिसके सम्बन्ध पर परियोजना प्रस्तावक के अनुसार यह बताया गया कि उक्त प्रकरण फॉर्म 1 में नवीन प्रकरण की श्रेणी में आवेदित किया गया है जिसके अनुसार यह प्रकरण रि–अप्रैजल का प्रकरण नहीं है। उक्त प्रकरण की पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 13–09–2018 के बाद की स्वीकृति है एवं हाल ही में भारत सरकार वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 07–05–2024 में निर्देशित कार्यवाही के अनुसार ऐसे डिया प्रकरण जिनकी पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 13–09–2018 के बाद जारी की गयी है उन प्रकरणों के अन्तर्गत आ रही खदानों के कार्य को बंद करने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त इन प्रकरणों की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए किस प्रक्रिया के तहत कार्यवाही की जानी है यह भारत सरकार*

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्देशत कार्यवाही में स्पष्ट नहीं किया गया है अतः ऐसे प्रकरण जिनकी पर्यावरणीय स्वीकृति डिया द्वारा दिनांक 13–09–2018 के बाद जारी की गयी है उनके एप्रैजल के लिए एक सैद्धांतिक निर्णय लिया जावे। अतः समिति द्वारा इन प्रकरणों के निराकरण के लिए प्रक्रिया एवं कार्यवाही हेतु सिया से मार्गदर्शन चाहा गया।" बैठक में SEIAA सचिवालय द्वारा बताया गया है कि भारत सरकार के MoEF&CC के कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 26.11.2024 के अनुसार दिनांक 11.12.2018 तक के DEIAA द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति का पुनः परीक्षण किया जाना है। प्रश्नाधीन प्रकरण में DEIAA द्वारा EC दिनांक 26.09.2018 को जारी की गई है अतः यह प्रकरण कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 26.11.2024 के अनुसार पुनः परीक्षण की श्रेणी में आता है। अतः प्रश्नाधीन प्रकरण में SEIAA द्वारा SEAC की 743वी बैठक दिनांक 27.04.2024 की अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में पुनः परीक्षण किया जाना है। **अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि संबंधित द्वारा प्रकरण में SEAC द्वारा की गई अनुशंसाओं के आधार पर एवं भारत सरकार द्वारा DEIAA EC पुनः परीक्षण के संबंध में जारी ज्ञापनों के अनुसार परीक्षण कर एक सप्ताह के अंदर चेकलिस्ट समस्त दस्तावेज सहित प्रस्तुत की जाये।**

8. **Case No. 11172/2024 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method) in an area of 2.00 ha. for production capacity of Gitti 6300, M-Sand-5000 cum per year at Khasra No. 36, at Village-Arnya Gujar, Tehsil-Mandsaur, District-Mandsaur (MP) Shri Rahul Sahu, Lessee, R/o Village-Kuchdod, Tehsil & District-Mandsaur (MP)-458895, [432029] [DEIAA]**

SEAC ने अपनी 763वी बैठक दिनांक 04.06.2024 में उल्लेख किया है कि *"यह प्रकरण डिया प्रकरण है जिसके सम्बन्ध पर परियोजना प्रस्तावक के अनुसार यह बताया गया कि उक्त प्रकरण फॉर्म 1 में नवीन प्रकरण की श्रेणी में आवेदित किया गया है जिसके अनुसार यह प्रकरण रि–अप्रैजल का प्रकरण नहीं है। उक्त प्रकरण की पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 13–09–2018 के बाद की स्वीकृति है एवं हाल ही में भारत सरकार वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 07–05–2024 में निर्देशित कार्यवाही के अनुसार ऐसे डिया प्रकरण जिनकी पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 13–09–2018 के बाद जारी की गयी है उन प्रकरणों के अन्तर्गत आ रही खदानों के कार्य को बंद करने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त इन प्रकरणों की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए किस प्रक्रिया के तहत कार्यवाही की जानी है यह भारत सरकार वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्देशत कार्यवाही में स्पष्ट नहीं किया गया है अतः ऐसे प्रकरण जिनकी पर्यावरणीय स्वीकृति डिया द्वारा दिनांक 13–09–2018 के बाद जारी की गयी है उनके एप्रैजल के लिए एक सैद्धांतिक निर्णय लिया जावे। अतः समिति द्वारा इन प्रकरणों के निराकरण के लिए प्रक्रिया एवं कार्यवाही हेतु सिया से मार्गदर्शन चाहा गया।"* बैठक में SEIAA सचिवालय द्वारा बताया गया है कि भारत सरकार के MoEF&CC के कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 26.11.2024 के अनुसार दिनांक 11.12.2018 तक के DEIAA द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति का पुनः परीक्षण किया जाना है। प्रश्नाधीन प्रकरण में DEIAA द्वारा EC दिनांक 26.09.2018 को जारी की गई है अतः यह प्रकरण कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 26.11.2024 के अनुसार पुनः परीक्षण की श्रेणी में आता है। अतः प्रश्नाधीन प्रकरण में SEIAA द्वारा SEAC की 743वी बैठक दिनांक 27.04.2024 की अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में पुनः परीक्षण किया जाना है। **अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि संबंधित द्वारा प्रकरण में SEAC द्वारा की गई अनुशंसाओं के आधार पर एवं भारत सरकार द्वारा DEIAA EC पुनः परीक्षण के संबंध में जारी ज्ञापनों के अनुसार परीक्षण कर एक सप्ताह के अंदर चेकलिस्ट समस्त दस्तावेज सहित प्रस्तुत की जाये।**

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

9. Case No. P2/798/24 Prior Environment Clearance for Stone Mine (Opencast semi mechanized method) in an area of 3.12 ha. for produciton capacity of 33,000 cum per annum at Khasra No. 44, 40, 42/1-2-3-4 at Village Narangi Tehsil Mohkhed District Chhindwara (M.P.) by Shri VISHAL KALIA, R/o Professors Colony, Chhindwara District Chhindwara (MP) [MIN/467150/2024 (DEIAA)]

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 764वीं बैठक दिनांक 06.06.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया निम्ननुसार स्थिति पाई गई :–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर फार्म, लीज स्वीकृति आदेश, एकल प्रमाण पत्र, ईएमपी एवं पीएफआर में खसरा नम्बर 44, 40, 42/1, 42/2, 42/3, 42/4 रकबा 3.12 अंकित है जबकि अनुमोदित खनन योजना खसरा नम्बर 44, 42/1, 42/2, 42/3, 42/4 रकबा 3.12 अंकित है, अनुमोदित खनन योजना में खसरा नम्बर 40 का उल्लेख नहीं है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दु कमांक 1 के दृष्टिगत संशोधित अनुमोदित खनन योजना ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत की जाये, इसके उपरांत ही प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

10. Case No. P2/806/24 Prior Environment Clearance for Stone Mine (Opencast semi mechanized method) in an area of 2.00 ha. for production capacity of 11,400 cum per annum at Khasra No. 12, 14/3-4, 15, 29/1tha, 16 at Village-Amaboh Tehsil Chourai District Chhindwara (M.P.) by Smt. KIRTI THAKUR, R/o Village-Amaboh Tehsil Chourai District Chhindwara (M.P.) [MIN/466052/2024 (DEIAA)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 764वीं बैठक दिनांक 06.06.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया निम्ननुसार स्थिति पाई गई :–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल ऑनलाईन फार्म के साथ परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार का निर्धारित प्रपत्र में शपथ पत्र अपलोड नहीं किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दु कमांक 1 के दृष्टिगत परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर शपथ पत्र प्रस्तुत की जाये, इसके उपरांत ही प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

11. प्रकरण क्र. 10737/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री प्रवीण राठौर आत्मज श्री रमेशचन्द्र राठौर, निवासी– पिसनावल, तहसील सेन्धवा, जिला बड़वानी (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 3000 एवं एम.सेण्ड 4000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.00

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

हेक्टेयर, खसरा 397, ग्रम पिसनावल, तहसील सेंधवा, जिला बड़वानी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 723वीं बैठक दिनांक 16.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 840 वी बैठक दिनांक 27.03.2024 में प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र का बैरियर जोन तथा बैरियर जोन के आगे भी खुदा हुआ परिलक्षित है जिससे प्रतीत होता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के बाहर अवैध उत्खनन किया गया है। अतः कलेक्टर बड़वानी से स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्वीकृत लीज एरिया के बाहर कितना खनन किया गया है और बिना अनुमति अवैध उत्खनन किये जाने के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा नियमानुसार स्वीकृत लीज एरिया के चारो ओर 7.5 मीटर का बैरियर जोन छोड़ा जाना था लेकिन इस प्रकरण में बैरियर जोन में भी खुदाई की गई है जो नियमानुसार उचित नहीं है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज एरिया में की गई खुदाई को रि–स्टोर कर पुनः पूर्व स्थिति में लाया जाये एवं फोटोग्राफ मय अक्षांश देशांश के शीघ्र प्रस्तुत किये जायें। खुदे हुए बैरियर जोन के संबंध में यदि संबंधित विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गई है तो उसका विवरण भी प्रस्तुत किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्राधिकरण के उपरोक्त निर्णय के परिपालन में ऑनलाईन ADS के माध्यम से प्रस्तुत पत्र के माध्यम से लेख किया गया कि *"पूर्व की खदान होने के कारण उक्त क्षेत्र के सीमा चिन्ह कई जगह से हट गए जिस कारण उत्खनिपट्टे से बाहर भूलवश की गयी खुदाई परिलक्षित हो रही है। हम यह आश्वासन देते है कि उत्खनिपट्टे के बैरियर जोन क्षेत्र का पुनर्भरण कर दिया जावेगा एवं भविष्य में इस बात का पूर्ण रूप से ध्यान रखा जावेगा।"*

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में जानबूझकर खुदाई की गई एवं कलेक्टर बड़वानी का प्रतिवेदन भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्रकरण उपरोक्त के दृष्टिगत लीज क्षेत्र के बार खुदे हुए बैरियर जोन के संबंध में जिला कलेक्टर द्वारा स्थल निरीक्षण करवाए जाने के उपरांत नियमानुसार कार्यवाही सहित स्पष्ट अभिमत प्राप्त किये जाने हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

12. प्रकरण क्र. 10738/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री प्रवीण सिंह पटेल आत्मज श्री योगेन्द्र सिंह पटेल, निवासी– ग्राम मेहतवाड़ा, तहसील जावर, जिला सीहोर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 20000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.70 हेक्टेयर, खसरा 2176, 2177, ग्रम आमलाताज, तहसील हाटपिपलिया, जिला देवास (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 723वीं बैठक दिनांक 16.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 840 वी बैठक दिनांक 27.03.2024 में प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र का बैरियर जोन तथा बैरियर जोन के आगे भी खुदा हुआ परिलक्षित है जिससे प्रतीत होता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के बाहर अवैध उत्खनन किया गया है। अतः कलेक्टर देवास से स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्वीकृत लीज एरिया के बाहर कितना खनन किया गया है और बिना अनुमति अवैध उत्खनन किये जाने के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा नियमानुसार स्वीकृत लीज एरिया के चारो ओर 7.5 मीटर का बैरियर जोन छोड़ा जाना था लेकिन इस प्रकरण में बैरियर जोन में भी खुदाई की गई है जो नियमानुसार उचित नहीं है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज एरिया में की गई खुदाई को रि–स्टोर कर पुनः पूर्व स्थिति में लाया जाये एवं फोटोग्राफ मय अक्षांश देशांश के शीघ्र प्रस्तुत किये जायें। खुदे हुए बैरियर जोन के संबंध में यदि संबंधित विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गई है तो उसका विवरण भी प्रस्तुत किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्राधिकरण के उपरोक्त निर्णय के परिपालन में ऑनलाईन ADS के माध्यम से प्रस्तुत पत्र के माध्यम से लेख किया गया कि *"पूर्व की खदान होने के कारण उक्त क्षेत्र के सीमा चिन्ह कई जगह से हट गए जिस कारण उत्खनिपट्टे से बाहर भूलवश की गयी खुदाई परिलक्षित हो रही है। हम यह आश्वासन देते है कि उत्खनिपट्टे के बैरियर जोन क्षेत्र का पुनर्भरण कर दिया जावेगा एवं भविष्य में इस बात का पूर्ण रूप से ध्यान रखा जावेगा।"*

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में जानबूझकर खुदाई की गई एवं कलेक्टर बड़वानी का प्रतिवेदन भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्रकरण उपरोक्त के दृष्टिगत लीज क्षेत्र के बार खुदे हुए बैरियर जोन के संबंध में जिला कलेक्टर द्वारा स्थल निरीक्षण करवाए जाने के उपरांत नियमानुसार कार्यवाही सहित स्पष्ट अभिमत प्राप्त किये जाने हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

13. Case No 10878/2023 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method) for produciton capacity of 5035 cum per year in an area of 2.00 ha. at Khasra No. 1081/1 at Village-Dhoomaheda, Tehsil-Nagda, District-Ujjain (MP) by Shri Umesh Jat, Lessee, R/o Nai Abadi, Unhel, Tehsil-Nagda, District-Ujjain (MP)-456221,

SEAC ने अपनी 763वी बैठक दिनांक 04.06.2024 में उल्लेख किया है कि *"यह प्रकरण डिया प्रकरण है जिसके सम्बन्ध पर परियोजना प्रस्तावक के अनुसार यह बताया गया कि उक्त प्रकरण फॉर्म 1 में नवीन प्रकरण की श्रेणी में आवेदित किया गया है जिसके अनुसार यह प्रकरण रि–अप्रैजल का प्रकरण नहीं है। उक्त प्रकरण की पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 13–09–2018 के बाद की स्वीकृति है एवं हाल ही में भारत सरकार वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 07–05–2024 में निर्देशित कार्यवाही के अनुसार ऐसे डिया प्रकरण जिनकी पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 13–09–2018 के बाद जारी की गयी है उन प्रकरणों के अन्तर्गत आ रही खदानों के कार्य को बंद करने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त इन प्रकरणों की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए किस प्रक्रिया के तहत कार्यवाही की जानी है यह भारत सरकार वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्देशत कार्यवाही में स्पष्ट नहीं किया गया है अतः ऐसे प्रकरण जिनकी पर्यावरणीय स्वीकृति डिया द्वारा दिनांक 13–09–2018 के बाद जारी की गयी है उनके एप्रैजल के लिए एक सैद्धांतिक निर्णय लिया जावे। अतः समिति द्वारा इन प्रकरणों के निराकरण के लिए प्रक्रिया एवं*

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

कार्यवाही हेतु सिया से मार्गदर्शन चाहा गया। " बैठक में SEIAA सचिवालय द्वारा बताया गया है कि भारत सरकार के MoEF&CC के कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 26.11.2024 के अनुसार दिनांक 11.12.2018 तक के DEIAA द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति का पुनः परीक्षण किया जाना है। प्रश्नाधीन प्रकरण में DEIAA द्वारा EC दिनांक 26.09.2018 को जारी की गई है अतः यह प्रकरण कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 26.11.2024 के अनुसार पुनः परीक्षण की श्रेणी में आता है। अतः प्रश्नाधीन प्रकरण में SEIAA द्वारा SEAC की 743वी बैठक दिनांक 27.04.2024 की अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में पुनः परीक्षण किया जाना है। अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि संबंधित द्वारा प्रकरण में SEAC द्वारा की गई अनुशंसाओं के आधार पर एवं भारत सरकार द्वारा DEIAA EC पुनः परीक्षण के संबंध में जारी ज्ञापनों के अनुसार परीक्षण कर एक सप्ताह के अंदर चेकलिस्ट समस्त दस्तावेज सहित प्रस्तुत की जाये।

14. Case No 11005/2023 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method) for produciton capacity of 26864 cum per year, in an area of 2.00 ha. at Khasra No. 1361/1/2(P), at Village-Didwara, Tehsil-Laundi, District Chhatarpur (MP) by M/s Om Granite, Prop. Shri Devendra Shivehare, R/o Village Churiyari, Tehsil Gaurihar, District Chhatarpur, MADHYA PRADESH, 471525 [450926] [DEIAA]

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 754 वी बैठक दिनांक 20.05.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 754वी बैठक दिनांक 20.05.2024 में लिये गये निर्णयानुसार तैयार किये गये स्टैण्डर्ड टॉर की अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–5) सहित प्रकरण में ToR जारी किया जावे। आवेदक एवं सर्व संबंधितों को सूचित किया जावे :–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान की सम्पूर्ण जानकारी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शासन द्वारा निर्धारित प्रकिया के अनुरूप समावेश कर ईआईए के साथ प्रस्तुत किया जाये।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का परिपालन सुनिश्चित कर अनुपालन प्रतिवेदन का सत्यापन क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से करवाए जााने के उपरांत ईआइए के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

III. भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ मॉ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप ईआईए प्रतिवेदन में अनिवार्यतः समावेश किया जाये।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण में एकल प्रमाण पत्र खनिज अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तुत किया गया है जो कि मान्य नहीं है, अतः जिला कलेक्टर द्वारा जारी किया गया एकल प्रमाण पत्र ईआईए प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन कार्य के दौरान उपयोग किये जाने वाले भूमिगत पानी के संबध मे सेन्ट्रल ग्राउन्ड वाटर प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर ईआईए प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रैन वाटर हारवेस्टिंग एवं वेस्ट डिस्पोजल का विधवत प्लान तैयार कर ईआईए प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन कार्य 6 मीटर गहराई या इससे अधिक गहराई/ ब्लास्टिंग, के संबध में पूर्व नियमानुसार DGMS की अनापत्ति प्राप्त ईआईए प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

VIII. म.प्र. शासन राजस्व विभाग के ज्ञापन कं. 16–10–7/2–ए/19 दिनांक 13.01.1997 में दर्ज परिभाषा अनुसार यदि आवेदित क्षेत्र राजस्व छोटे/बड़े झाड़ के जंगल के रूप में अभिलिखित है तो प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी से अभिप्रमाणीकरण कर ईआईए प्रतिवेदन में सम्मलित किया जाये।

IX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।

X. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।

XI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खान सुरक्षा निदेशालय (DGMS) द्वारा ब्लास्टिंग संकिया के लिये निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप पर्यावरण संरक्षण के समस्त उपायों का ईआईए प्रतिवेदन में विशेष रूप से समावेश किया जाये।

15. Case No. 11055/2023 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method) in an area of 1.50 ha. for production capacity of 3000 cum per year at Khasra No. 188 at Village Surjanwasa, Tehsil-Ujjain, District-Ujjain (MP) by Ms. Varsha Sood, R/o 25, Ajad Nagar, Dewas Road, District-Ujjain (MP)-456010, [448768] [DEIAA] (TOR)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 737 वी बैठक दिनांक 15.04.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

(आर. उमामहेश्वरी)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 737वी बैठक दिनांक 15.04.2024 में लिये गये निर्णयानुसार तैयार किये गये स्टैण्डर्ड टॉर की अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–5) सहित प्रकरण में ToR जारी किया जावे। आवेदक एवं सर्व संबंधितों को सूचित किया जावे :–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान की सम्पूर्ण जानकारी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शासन द्वारा निर्धारित प्रकिया के अनुरूप समावेश कर ईआईए के साथ प्रस्तुत किया जाये।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा **DEIAA** की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का परिपालन सुनिश्चित कर अनुपालन प्रतिवेदन का सत्यापन क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से करवाए जााने के उपरांत ईआइए के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

III. भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ माँ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप ईआईए प्रतिवेदन में अनिवार्यतः समावेश किया जाये।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण में एकल प्रमाण पत्र खनिज अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तुत किया गया है जो कि मान्य नहीं है, अतः जिला कलेक्टर द्वारा जारी किया गया एकल प्रमाण पत्र ईआईए प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन कार्य के दौरान उपयोग किये जाने वाले भूमिगत पानी के संबध मे सेन्ट्रल ग्राउन्ड वाटर प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर ईआईए प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रैन वाटर हारवेस्टिंग एवं वेस्ट डिस्पोजल का विधवत प्लान तैयार कर ईआईए प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन कार्य 6 मीटर गहराई या इससे अधिक गहराई/ ब्लास्टिंग, के संबध में पूर्व नियमानुसार DGMS की अनापत्ति प्राप्त ईआईए प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

VIII. म.प्र. शासन राजस्व विभाग के ज्ञापन कं. 16–10–7/2–ए/19 दिनांक 13.01.1997 में दर्ज परिभाषा अनुसार यदि आवेदित क्षेत्र राजस्व छोटे/बड़े झाड़ के जंगल के रूप में अभिलिखित है तो प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी से अभिप्रमाणीकरण कर ईआईए प्रतिवेदन में सम्मलित किया जाये।

IX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।

X. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।

XI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खान सुरक्षा निदेशालय (DGMS) द्वारा ब्लास्टिंग संकिया के लिये निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप पर्यावरण संरक्षण के समस्त उपायों का ईआईए प्रतिवेदन में विशेष रूप से समावेश किया जाये।

XII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र के पास से निकल रही सड़क के संबंध में माननीय एनजीटी /सीपीसीबी के दिशा निर्देशों के अनुरूप निर्धारित दूरी छोड़ने के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए में समावेश की जाये।

XIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना की अवधि समाप्त हो गई है, अतः नवीन अनुमोदित खनन योजना ईआईए प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत की जाये।

16. Case No 11052/2023 Prior Environment Clearance for Stone Mine (Opencast semi mechanized method) for producion capacity of 8259 cum per year, in an area of 1.00 ha. at Khasra No. 29/1 at Village-Harraha, Tehsil-Mauganj, District-Rewa (MP) Shri Arvind Chauhan, R/o Infront of the Bren Shoper Hostel, Gulab Nagar, Huzur, District-Rewa (MP)-486001 [449226] [DEIAA] (TOR)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 754 वी बैठक दिनांक 20.05.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 754वी बैठक दिनांक 20.05.2024 में लिये गये निर्णयानुसार तैयार किये गये स्टैण्डर्ड टॉर की अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–5) सहित प्रकरण में ToR जारी किया जावे। आवेदक एवं सर्व संबंधितों को सूचित किया जावे :–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान की सम्पूर्ण जानकारी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शासन द्वारा निर्धारित प्रकिया के अनुरूप समावेश कर ईआईए के साथ प्रस्तुत किया जाये।

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा **DEIAA** की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का परिपालन सुनिश्चित कर अनुपालन प्रतिवेदन का सत्यापन क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से करवाए जााने के उपरांत ईआइए के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

III. भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ माँ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप ईआईए प्रतिवेदन में अनिवार्यतः समावेश किया जाये।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन कार्य के दौरान उपयोग किये जाने वाले भूमिगत पानी के संबध मे सेन्ट्रल ग्राउन्ड वाटर प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर ईआईए प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रैन वाटर हारवेस्टिंग एवं वेस्ट डिस्पोजल का विधवत प्लान तैयार कर ईआईए प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन कार्य 6 मीटर गहराई या इससे अधिक गहराई/ ब्लास्टिंग, के संबध में पूर्व नियमानुसार DGMS की अनापत्ति प्राप्त ईआईए प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

VII. म.प्र. शासन राजस्व विभाग के ज्ञापन क्रं. 16–10–7/2–ए/19 दिनांक 13.01.1997 में दर्ज परिभाषा अनुसार यदि आवेदित क्षेत्र राजस्व छोटे/बड़े झाड़ के जंगल के रूप में अभिलिखित है तो प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी से अभिप्रमाणीकरण कर ईआईए प्रतिवेदन में सम्मलित किया जाये।

VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।

IX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।

X. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खान सुरक्षा निदेशालय (DGMS) द्वारा ब्लास्टिंग संक्रिया के लिये निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप पर्यावरण संरक्षण के समस्त उपायों का ईआईए प्रतिवेदन में विशेष रूप से समावेश किया जाये।

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

17. Case No 11050/2023 Prior Environment Clearance for Stone Mine (Opencast semi mechanized method) in an area of 3.00 ha. for production capacity of 19000 cum per year ,Khasra No. 33/2, Village-Rojhana, Tehsil-Jaora, District-Ratlam (MP) by Shri Suresh Kumar R/o Ward No. 15, Punam Vihar Colony, Pahadiya Road, Jaora, District-Ratlam (MP)-457226 [445846] [DEIAA] (TOR)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 754 वी बैठक दिनांक 20.05.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 754वी बैठक दिनांक 20.05.2024 में लिये गये निर्णयानुसार तैयार किये गये स्टैण्डर्ड टॉर की अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–5) सहित प्रकरण में ToR जारी किया जावे। आवेदक एवं सर्व संबंधितों को सूचित किया जावे :–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान की सम्पूर्ण जानकारी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शासन द्वारा निर्धारित प्रकिया के अनुरूप समावेश कर ईआईए के साथ प्रस्तुत किया जाये।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा **DEIAA** की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का परिपालन सुनिश्चित कर अनुपालन प्रतिवेदन का सत्यापन क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से करवाए जााने के उपरांत ईआइए के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

III. भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ मॉ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप ईआईए प्रतिवेदन में अनिवार्यतः समावेश किया जाये।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण में एकल प्रमाण पत्र खनिज अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तुत किया गया है जो कि मान्य नहीं है, अतः जिला कलेक्टर द्वारा जारी किया गया एकल प्रमाण पत्र ईआईए प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन कार्य के दौरान उपयोग किये जाने वाले भूमिगत पानी के संबध मे सेन्ट्रल ग्राउन्ड वाटर प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर ईआईए प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रैन वाटर हारवेस्टिंग एवं वेस्ट डिस्पोजल का विधवत प्लान तैयार कर ईआईए प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन कार्य 6 मीटर गहराई या इससे अधिक गहराई/ ब्लास्टिंग, के संबध में पूर्व नियमानुसार DGMS की अनापत्ति प्राप्त ईआईए प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

VIII. म.प्र. शासन राजस्व विभाग के ज्ञापन कं. 16–10–7/2–ए/19 दिनांक 13.01.1997 में दर्ज परिभाषा अनुसार यदि आवेदित क्षेत्र राजस्व छोटे/बड़े झाड़ के जंगल के रूप में अभिलिखित है तो प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी से अभिप्रमाणीकरण कर ईआईए प्रतिवेदन में सम्मलित किया जाये।

IX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।

X. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।

XI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खान सुरक्षा निदेशालय (DGMS) द्वारा ब्लास्टिंग संक्रिया के लिये निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप पर्यावरण संरक्षण के समस्त उपायों का ईआईए प्रतिवेदन में विशेष रूप से समावेश किया जाये।

XII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र के पास से निकल रही सड़क के संबंध में माननीय एनजीटी /सीपीसीबी के दिशा निर्देशों के अनुरूप निर्धारित दूरी छोड़ने के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए में समावेश की जाये।

18. Case No 11053/2023 Prior Environment Clearance for Stone Mine (Opencast semi mechanized method) in an area of 1.750 ha. for production capacity of 15035 cum per year at Khasra No. 169, at Village-Sarwani Jagir, Tehsil-Ratlam, District Ratlam (MP) by Shri Binnen Shreenu, R/o Prem Nagar, Khairatabad, District Hyderabad (TL)-500004 [453959] (TOR)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 754 वी बैठक दिनांक 20.05.2024 में उक्त प्रकरण में अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 754वी बैठक दिनांक 20.05.2024 में लिये गये निर्णयानुसार तैयार किये गये स्टैण्डर्ड टॉर की अतिरिक्त मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–5) सहित प्रकरण में ToR जारी किया जावे। आवेदक एवं सर्व संबंधितों को सूचित किया जावे :–

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान की सम्पूर्ण जानकारी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शासन द्वारा निर्धारित प्रकिया के अनुरूप समावेश कर ईआईए के साथ प्रस्तुत किया जाये।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा **DEIAA** की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का परिपालन सुनिश्चित कर अनुपालन प्रतिवेदन का सत्यापन क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से करवाए जााने के उपरांत ईआइए के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

III. भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ माँ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप ईआईए प्रतिवेदन में अनिवार्यतः समावेश किया जाये।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण में एकल प्रमाण पत्र खनिज अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तुत किया गया है जो कि मान्य नहीं है, अतः जिला कलेक्टर द्वारा जारी किया गया एकल प्रमाण पत्र ईआईए प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन कार्य के दौरान उपयोग किये जाने वाले भूमिगत पानी के संबध मे सेन्ट्रल ग्राउन्ड वाटर प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर ईआईए प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रैन वाटर हारवेस्टिंग एवं वेस्ट डिस्पोजल का विधवत प्लान तैयार कर ईआईए प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन कार्य 6 मीटर गहराई या इससे अधिक गहराई/ ब्लास्टिंग, के संबध में पूर्व नियमानुसार DGMS की अनापत्ति प्राप्त ईआईए प्रतिवेदन के साथ अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।

VIII. म.प्र. शासन राजस्व विभाग के ज्ञापन कं. 16–10–7/2–ए/19 दिनांक 13.01.1997 में दर्ज परिभाषा अनुसार यदि आवेदित क्षेत्र राजस्व छोटे/बड़े झाड़ के जंगल के रूप में अभिलिखित है तो प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी से अभिप्रमाणीकरण कर ईआईए प्रतिवेदन में सम्मलित किया जाये।

IX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।

X. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस–पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं जिससे पूर्व जल

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश की जाये।

XI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खान सुरक्षा निदेशालय (DGMS) द्वारा ब्लास्टिंग संक्रिया के लिये निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप पर्यावरण संरक्षण के समस्त उपायों का ईआईए प्रतिवेदन में विशेष रूप से समावेश किया जाये।

XII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र के पास स्थित नदी के संबंध में माननीय एनजीटी /सीपीसीबी के दिशा निर्देशों के अनुरूप निर्धारित दूरी छोड़ने के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए में समावेश की जाये।

अंत में बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष